राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन ( ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प. 5(1) साप्र/3/11 जयपुर, दिनांक 28-11-2011

# =:परिपत्र:=

विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय विभाग द्वारा अधिकारीगण के स्थानान्तरण पश्चात् जानकारी के अभाव में टेलीफोन को हमेशा के लिए कटवा दिया जाता है जिसके कारण उनके स्थान पर आने वाले अधिकारीगण को टेलीफोन उपलब्ध नहीं हो पाता है। भविष्य में टेलीफोन स्थायी तौर पर नहीं कटवाया जाये बल्कि सैफकस्टडी में रखवा दिया जाये जिससे कि भविष्य में नवीन पदस्थापन होने पर आने वाले अधिकारीगण के आंवटन हेतु विभाग को वहीं नम्बर आवश्यकतानुसार पुनः प्राप्त हो जायें। सेफकस्टडी (टेलीफोन का अधिकारी के निवास से अनुरोध पर तुरंत संबंध विच्छेद हो जायेगा और कनेक्शन भारत संचार निगम के पास भविष्य में शिफ्टिंग के लिए सुरक्षित रहेगा) जिसके दौरान टेलीफोन बिलों का भुगतान निरंतर होता रहे इसे सुनिश्चित कर लिया जाये।

जिन अधिकारीगण के द्वारा निजी टेलीफोन पर भुगतान/पुनर्भरण की स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तथा जिनका जयपुर से अन्यत्र स्थानान्तरण होने की स्थिति में भी यदि वे चाहे तो अपनी सुविधानुसार अपने निजी टेलीफोन को भी सेफकस्टडी में रखवा सकते हैं ताकि भविष्य में जयपुर में पदस्थापन होने पर वहीं नम्बर प्राप्त हो सके। सेफकस्टडी के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा लिये जाने वाला शुल्क/राशि अधिकारी स्वयं वहन करनी होगी।

अधिकारी का स्थानान्तरण दूसरे विभाग में हो जाने पर पूर्व टेलीफोन तभी यथावत रखा जा सकेगा जबकि इसके एवज में टेलीफोन संबंधित विभाग को सेफ कस्टडी में रखा हुआ टेलीफोन समर्पित करेगा जिसके विरूद्ध पिछली कोई बकाया शेष नहीं हो।

इस संबंध में जिस तिथि को यथावत रखने के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी होंगे उस माह तक का भुगतान जिस विभाग द्वारा टेलीफोन समर्पित किया जायेगा उसी विभाग द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात् बिल का भुगतान जिस विभाग को टेलीफोन समर्पित हुआ है वह स्वयं करेगा एवं अपने स्वामित्व में आये टेलीफोनों के बिल में यदि कोई संशोधन अपेक्षित है तो उसे विभाग अपने स्तर पर भारत संचार निगम लिमिटेड से सम्पर्क कर करवा लिया जायेगा।

कोई भी विभाग जब टेलीफोन सेफकस्टडी में रखता है और नवीन अधिकारी को आंवटित करता है अथवा टेलीफोन समर्पित करता है तो उस अवधि तक का भुगतान जिस विभाग की अधीन टेलीफोन सेफ कस्टडी में रहा है वही विभाग करेगा। समस्त विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि मुख्यालय स्तर पर तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को जहां राजकीय कार्यालय स्थापित है उन्हे भी इन निर्देशों की पूर्ण पालना करने के लिये निर्देशित कर दिया जाये साथ ही स्वीकृत टेलीफोन के संबंध में एक रजिस्टर संधारित कर लिया जाये जिसमें टेलीफोन भुगतान संबंधी सभी विवरण यथा टेलीफोन धारक का नाम, पता तथा कार्यालय/निवास,टेलीफोन बिल की अवधि एवं राशि जिसका भुगतान हो रहा है दर्ज किया जा कर हमेशा अपडेट रखा जाये।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
2. शासन सचिवालय में पदस्थापित समस्त शासन उप सचिवगण/अन्य अधिकारीगण।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
5. समस्त कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि टेलीफोन के बिल पारित करते समय विभाग द्वारा सेफकस्टडी में रखे टेलीफोन की सूची संलग्न कर दी है अथवा कोई टेलीफोन सेफकस्टडी में नहीं होने पर सूचना शून्य अंकित कर दी है इसे सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
6. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव